उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार
पिन कोड–249404

संः 82/02/डी0आर0/खा0सं0औ0प्र0/सेवा–03/2022–23 दिनांकः 20/08/2024

कार्यालय ज्ञाप

औषधि निरीक्षक (ग्रेड–2) परीक्षा–2023 के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत औषधि निरीक्षक (ग्रेड–2) के रिक्त 19 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन किये जाने हेतु **औषधि निरीक्षक (ग्रेड–2) परीक्षा–2023** का विज्ञापन संख्याः A-4/DR/DI/S-3/2023-24 दिनांकः 16 सितंबर, 2023 को प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन के क्रम में **दिनांक 19 मई, 2024** को आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का परीक्षा परिणाम विज्ञप्ति संख्या–125/05/औ0नि0(ग्रेड–2)/G-2/2023-24 दिनांक 16 अगस्त, 2024 द्वारा घोषित किया गया है। उक्त स्क्रीनिंग परीक्षा परिणाम के क्रम में औपबन्धिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन **दिनांक 30 अगस्त, 2024** को **परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार** में किया जाना निर्धारित है।

02– उक्त अभिलेख सत्यापन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड किये जाने हेतु ऑनलाइन लिंक आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 21 अगस्त, 2024 से 30 अगस्त, 2024 तक खोला जा रहा है। अभ्यर्थी दिनांक 21 अगस्त, 2024 से उक्त लिंक का प्रयोग करते हुए अभिलेख सत्यापन से पूर्व ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति डाउनलोड करते हुए अभिलेख सत्यापन के समय आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

03– अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन–पत्र में किये गये दावों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट व चैकलिस्ट के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रतियों का मूल अभिलेखों से सत्यापन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदशिका–2022 एवं मा0 आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों के आलोक में आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि मे किया जायेगा। अभिलेख सत्यापन के पश्चात मा0 आयोग द्वारा अर्ह घोषित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। **निर्धारित तिथि (30 अगस्त, 2024) को अभिलेख सत्यापन न कराने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी दशा में अभिलेख सत्यापन हेतु पुनः अवसर नहीं दिया जायेगा।**

04– अभिलेख सत्यापन (Document Verification) अनुक्रमांकवार निम्न कार्यक्रमानुसार निर्धारित है–

अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम
दिनांकः 30 अगस्त, 2024

200005	200037	200038	200045	200068	200136	200145	200165
200299	200301	200371	200377	200433	200463	200478	200479
200509	200519	200533	200542	200545	200548	200782	200787

200800	200822	200826	200837	200916	200932	201010	201017
201027	201044	201075	201170	201177	201320	201426	201441
201690	201778	201781	201804	201817	201833	201841	201918
201932	201964	201981	201988	202027	202069	202119	202169
202201	202205	202209	202227	202234	202236	202302	202307
202414	202447	202463	202483	202502	202560	202567	202604
202621	202635	**Total 74**					

नोट– अभ्यर्थियों के अभिलेखों के सत्यापन का कार्य, परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में प्रातः 09:30 बजे से प्रारम्भ होगा। अभ्यर्थी प्रातः 9:30 बजे तक परीक्षा भवन में अभिलेख सत्यापन कार्यक्रमानुसार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के संबंध में पृथक से डाक अथवा अन्य माध्यम से सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी।

05– अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम के अन्तर्गत अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन–पत्र में किये गये दावों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान किया जायेगा। इस विज्ञप्ति के साथ आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर निम्नलिखित प्रपत्र भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरते हुए, चैकलिस्ट के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण प्रमाण पत्र आदि समस्त अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों के 02 सैट के साथ नियत तिथि एवं समय पर आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे–

(क) चैकलिस्ट **(Check List)**
(ख) आनॅलाइन आवेदन पत्र **(Online Application Form)** (अनुक्रमांक सहित)।
(ग) विस्तृत आवेदन–पत्र **(Detailed Application Form)** (प्रपत्र संख्या–02)
(घ) प्रमाणीकरण–पत्रक **(Attestation Form)** (प्रपत्र संख्या–03)
(ड़) देशना–पत्रक **(Index Card)** (प्रपत्र संख्या–04)।
(च) नाम में भिन्नता के सम्बन्ध में स्वघोषणा पत्र।
(छ) पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ। (प्रपत्र– 02, 04 के फोटो के अतिरिक्त)

06– अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गये दावे के सापेक्ष ही निम्नलिखित मूल प्रमाण–पत्र एवं उनकी स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति (02 प्रतियों में) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें:–

1) हाईस्कूल प्रमाण–पत्र एवं अंक–तालिका।
2) इण्टरमीडिएट प्रमाण–पत्र एवं अंक–तालिका।
3) स्नातक उपाधि एवं अंकतालिका।
4) अधिमानी अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण –पत्र। (यदि लागू हो)।
5) आरक्षण (लम्बवत एवं क्षैतिज) एवं मूल/स्थायी निवास संबंधी प्रमाण–पत्र।
6) विज्ञापन के बिन्दु सं0–06 में उल्लिखित प्राविधानानुसार धारित वांछनीय अर्हता संबंधी प्रमाण–पत्र/अभिलेख।
7) यदि अभ्यर्थी किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है, तो सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र।
8) यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र ।

9) पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथपत्र **(Affidavit)** अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें, कि वे पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए है।

10) जिन पूर्व सैनिकों द्वारा विज्ञप्ति संख्या A-4/DR/DI/S-3/2023-24 दिनांकः 16 सितंबर, 2023 के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ लिया है वे आवेदित पद से न्यून वेतनमान में कार्यरत रहने संबंधी साक्ष्य के रूप में अपनी अद्यतन वेतन पर्ची **(Salary Slip)** अथवा संबंधी संस्था/विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड–पे संबंधी उल्लेख के प्रमाण–पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

11) पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ। (प्रपत्र– 02, 04 के फोटो के अतिरिक्त)

नोट– यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक–तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण–पत्र के स्थान पर मान्य नहीं समझते है और केवल अंक–तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। अतः अंक–तालिकाओं के साथ परीक्षा संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र (Certificate) प्रस्तुत करना होगा।

07– यदि अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन की नियत तिथि (30 अगस्त, 2024) को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनको साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

08– यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावे के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा किये जाने हेतु अधिकतम 07 दिन का समय प्रदान किया जायेगा। यदि अतिरिक्त 07 दिन की अवधि में भी अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है, तो उनको साक्षात्कार हेतु विचारित नहीं किया जाएगा।

-sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।